

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 42 / 2022 FSSA

- सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

- श्री शुभम खण्डेलवाल पुत्र श्री धर्मेश कुमार गुप्ता
एफबीओ मैसर्स:—श्री गोपाल ट्रेडर्स, सिकन्दरा रोड, बांदीकुई जिला दौसा।
- श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री मणीराम एचएन, नोमिनी
एफबीओ मैसर्स:—वरुण बेवरेज लिमिटेड, एसपी-290-292 रिको इण्ड. एरिया, फेज-7, चॉपकी, भिवाडी जिला अलवर।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 उपस्थित।

—: आदेश :—

दिनांक:— 29.04.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने दिनांक 06.05.2022 को दोपहर 02:30 बजे मैसर्स श्री गोपाल ट्रेडर्स सिकन्दरा रोड बांदीकुई जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मैसर्स विक्रेता श्री शुभम खण्डेलवाल पुत्र श्री धर्मेश कुमार गुप्ता उपस्थित मिला, जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता के संस्थान परिसर में 10 कार्टुन में 200 एमएल मूल पैक में Badam Kesar Flavoured Milk (Cream Bell) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। (10 कार्टुन X 30 बोतल X 200 एमएल) में मिलावट का शक होने पर इनमें से एक कार्टुन में से 8 मूल पैक बोतल 200 एमएल मूल Badam Kesar Flavoured Milk (Cream Bell) नमूने की जाँच हेतु खरीदी। जिसकी कीमत 120 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा Badam Kesar Flavoured Milk (Cream Bell) के 8 मूल पैक बोतलो को चार जगह कर (4 X 2 बोतल) के चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेटकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-2957 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार-चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Original

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 09.05.2022 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 09.05.2022 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाया। नमूने का चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 09.05.2022 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाया।

उक्त खाद्य पदार्थ Badam Kesar Flavoured Milk (Cream Bell) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./449/एक्ट/2022/449 दिनांक 18.05.2022 के अनुसार यह नमूना सबस्टैण्डर्ड (Substandard) का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./449/एक्ट/2022/449 दिनांक 18.05.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ Badam Kesar Flavoured Milk (Cream Bell) के नमूने में Milk solids not fat 8.66 प्रतिशत ही पाया गया है, जो कि तय मानको के अनुसार कम से कम 9.0 प्रतिशत होना चाहिये था। जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ के नमूने में Milk solids not fat की मात्रा तय मानको से कम पाये जाने से यह नमूना FS&S (Food Products Standards & Food Additives) Regulations 2011 के प्रावधानों के अनुसार Flavoured Milk के लिये निर्धारित शुद्धता मानको के अनुरूप नहीं होने से सेक्शन 3(1)(Zx) of Food Safety and Standards Act 2006 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड (Substandard) स्तर का पाया गया है। विक्रेता ने सबस्टैण्डर्ड (Substandard) स्तर के खाद्य पदार्थ Badam Kesar Flavoured Milk (Cream Bell) का विक्रय कर एफ.एस.एस.एक्ट की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने में Milk solids not fat 8.66 प्रतिशत पाया गया है, जो कि निर्धारित मानक 9.0 प्रतिशत से केवल मात्र 0.44 प्रतिशत ही कम पाया गया है, जो कि मामूली अन्तर है। जांच रिपोर्ट में यह कमी विश्लेषणात्मक त्रुटि के कारण भी कम हो सकती है। उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने में Milk fat 2.03 प्रतिशत पाई गई है, जो कि तय मानक 1.50 प्रतिशत से 0.23 प्रतिशत अधिक पाई गई है। खाद्य विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट में यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि नमूने का विश्लेषण प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने को फैंट की मात्रा की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये ठीक तरह से मिश्रित कर लिया गया है। Since the variation in percentage of SNF is found less than 1% the same has been done due to the analytical error. इस प्रकार से अप्रार्थीगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय किये जाने सम्बन्धित एफएसएस एक्ट के किसी भी विनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण परिवाद ड्रॉप फरमावे।



सत्यमेव जयते

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./449/एक्ट/2022/449 दिनांक 18.05.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ Badam Kesar Flavoured Milk (Cream Bell) के नमूने में Milk solids not fat(SNF) Contents की मात्रा तय मानको से कम पाये जाने के कारण FS&S (Food Products Standards & Food Additives) Regulations 2011 के प्रावधानो के अनुसार यह नमूना Flavoured Milk के लिये निर्धारित शुद्धता मानको के अनुरूप नहीं होने से सेक्शन 3(1)(Zx) of Food Safety and Standards Act 2006 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड (Substandard) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने सबस्टैण्डर्ड (Substandard) स्तर के खाद्य पदार्थ Badam Kesar Flavoured Milk (Cream Bell) का विक्रय कर एफ.एस.एस.एक्ट की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा (Substandard) स्तर के खाद्य पदार्थ Badam Kesar Flavoured Milk (Cream Bell) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री शुभम खण्डेलवाल पुत्र श्री धर्मेश कुमार गुप्ता एफबीओ मैसर्स:-श्री गोपाल ट्रेडर्स, सिकन्दरा रोड, बांदीकुई जिला दौसा पर 5,00,000/- (अक्षरे पांच लाख रुपये) एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री मणीराम एचएन, नोमिनी एफबीओ मैसर्स:-वरुण बेवरेज लिमिटेड, एसपी-290-292 रिको इण्ड. एरिया, फेज-7, चॉपकी, भिवाडी जिला अलवर पर 5,00,000/- (अक्षरे पांच लाख रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 उक्त राशि निर्णय दिनांक 29.04.2024 के एक माह के अन्दर-अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210-04-800-03-00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

क्रमांक / FSSA/ 2024 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री शुभम खण्डेलवाल पुत्र श्री धर्मेश कुमार गुप्ता
एफबीओ मैसर्स:-श्री गोपाल ट्रेडर्स, सिकन्दरा रोड, बांदीकुई जिला दौसा।
4. श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री मणीराम एचएन, नोमिनी
एफबीओ मैसर्स:-वरुण बेवरेज लिमिटेड, एसपी-290-292 रिको इण्ड. एरिया, फेज-7, चॉपकी, भिवाडी जिला अलवर।

(सुमित्रा पारीक)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

दिनांक:- 29.04.2024

(सुमित्रा पारीक)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा